फर्द अहकाम

प्रेमलता व अन्य बनाम निखिल व अन्य

क्र: 76/2025

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
03.01.2025	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बावत करवाये जाने सीमाज्ञान पत्थरगढी व अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर वकील प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाके ग्राम जयसिंहपुरा उर्फ रुपवास, पटवार हल्का पंवालिया, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में प्रार्थीगण के हक, अधिकार व स्वामित्व की आराजी भूमि खाता संख्या नया 94 खाता संख्या पुराना 96 के खसरा संख्या 644 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा संख्या 645 रकबा 0.0400 हैक्टेयर के दक्षिणी हिस्से में अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि पर लगभग 20 फीट अन्दर तक अप्रार्थीगण मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा सीमाज्ञान व पत्थरगढी सेटलमेन्ट विभाग से ई.डी.एम. मशीन द्वारा करवाया जाकर सीमाचिन्ह अंकित कर पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश फरमाये। बहस वकील प्रार्थीगण व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया । वकील प्रार्थीगण की बहस का मनन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.12.2024 को तहसीलदार सांगानेर के राजस्व विभाग की टीम व दिनांक 31.12.2024 तहसीलदार सांगानेर के राजस्व विभाग की टीम के साथ जयपुर विकास प्राधिकारी जयपुर के के प्रतिनिधि की टीम के साथ सीमाज्ञान करवाया जा गया जिसमें पाया की राजस्व सीट व मौके पर जरीब में सीमा में विभिन्नता पायी गयी। प्रार्थी सेटलमेंट विभाग की टीम से सीमाज्ञान करवाने हेतु निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पर सीमाज्ञान करवाने जाने बाद पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। ....लगातार उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	